इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2011—माघ 8, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्र. एफ. ए-3-25-2010-1-पांच(01).—उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के अधीन बीमार तथा बंद औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध बकाया राशि, जिसमें कर तथा ब्याज/ शास्ति सम्मिलित हैं, का परिनिर्धारण करने की दृष्टि से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:—

योजना

1. (1) यह योजना ''मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार तथा बंद औद्योगिक इकाइयां) सरल समाधान योजना, 2010'' कहलाएगी.

(2) यह योजना, इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगी.

2. यह योजना मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अधीन उस बकाया रकम (कर, ब्याज और / या शास्ति) के संदर्भ में प्रभावी होगी जो किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा देय है जिसने किसी ऐसी बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को अधिगृहित किया है या उसे पुनर्जीवित किया है जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा ''विशेष पैकेज, 2010'' या ''पालिसी पैकेज, 2010'' या ''पुनर्जीवन योजना'' स्वीकृत की गई हो.

3. इस योजना के अधीन प्रदान की गई सुविधा उस बकाया राशि के लिए उपलब्ध होगी, जो,—

(1) ''विशेष पैकेज, 2010'' की दशा में, अधिग्रहण; या

(2) "पालिसी पैकेज, 2010" की दशा में, पैकेज की स्वीकृति या कट ऑफ डेट; या

(3) "पुनर्जीवन योजना" की दशा में, पुनर्जीवन

की तारीख को शेष है.

4. किसी व्यापारी के संबंध में, समाधान बकाया राशि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए प्रकरणों पर प्रत्येक वर्ष अधिनियमवार पृथक् -पृथक् विचार किया जाएगा.

5. समाधान के लिए संदत्त की जाने वाली राशि बकाया में सम्मिलित की गई कर की रकम होगी.

6. समाधान राशि का भुगतान,—

(क) (1) "विशेष पैकेज, 2010" की दशा में, अधिग्रहण की तारीख से;
(2) "पालिसी पैकेज, 2010" की दशा में, स्वीकृति आदेश की तामील की तारीख से;
तीन मास के भीतर; और

(ख) "पुनर्जीवन योजना" की दशा में, अधिकतम छत्तीस समान मासिक किस्तों में या बारह समान त्रैमासिक किस्तों में किया जाएगा.

7. (1) यदि बकाया ऐसे कर निर्धारण वर्ष से संबंधित है, जिसके संबंध में अपील, पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही राज्य सरकार, अपील बोर्ड या विभागीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है, तो रजिस्ट्रीकृत व्यापारी आवेदन-पत्र में उल्लेख करेगा कि वह राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई योजना के अनुसार स्वेच्छा से सुविधा का लाभ उठा रहा है तथा वह अपील/ पुनरीक्षण/ याचिका वापस ले लेगा/ योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से, बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई स्थगित रहेगी तथा जब समाधान प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है तो उक्त अपील/ पुनरीक्षण/ याचिका स्वत: ही वापस ले ली गई समझी जाएगी. जहां तक सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालय के समक्ष संबंधित याचिका/ अपील/ संदर्भ का संबंध है, उन्हें वापस लेने हेतु नियमानुसार आवेदन, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा समाधान प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व समुचित प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा. ऐसे समुचित प्रमाण के अभाव में आवेदन निरस्त किया जा सकेगा.

(2) यदि कोई प्रकरण, अपील/ पुनरीक्षण या किसी अन्य मामले में आदेश द्वारा पुन: कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है और पुन: कर निर्धारण पूर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसे प्रकरण पर, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के विकल्प पर, कर निर्धारण आदेश के अनुसार बकायां उस राशि के संबंध में, जो कि मामले को प्रतिप्रेषित करने वाले आदेश कीं विषयवस्तु थी, योजना के अन्तर्गत समाधान के लिए विचार किया जाएगा.

8. समाधान राशि जमा कराई जाने के पश्चात् बकाया राशि के पूर्ण एवं अंतिमरूप से निपटारे हेतु समाधान प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा.

9. समाधान योजना के अधीन प्रकरण के निपटारे के पश्चात् आवेदक के विरुद्द किसी भी प्रकार की कोई दाण्डिक कार्रवाई विभाग द्वारा प्रशासित किसी भी अधिनियम के अधीन नहीं की जाएगी. आवेदक भी उसके बाद किसी अधिनियम के अधीन कोई अन्य लाभ का हकदार नहीं होगा.

10. योजना के क्रियान्वयन के लिए नियम या मार्गदर्शन राज्य सरकार/ आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए जा सकेंगे.

11. राज्य सरकार, योजना या नियमों को किसी भी समय संशोधित कर सकेगी. योजना या नियमों के संबंध में, किसी विवाद की दशा में, वाणिज्यक कर विभाग, मध्यप्रदेश शासन का विनिश्चय अंतिम होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्र. एफ-ए-3-25-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-25-2010-1-पांच (01), दिनांक 28 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th January 2011

No. F-A-3-25-2010-1-V (01).—In pursuance of the provisions of the Industrial Promotion Policy, 2010, in order to liquidate the amount of arrears which include tax and interest/penalty against the sick and closed industrial units, under Madhya Pradesh General Sales Tax Act, the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, the Madhya Pradesh Vat Act, the Central Sales Tax Act and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, the State Government, hereby, makes the following scheme, namely :—

SCHEME

1. (1) The scheme is known as "Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) saral Samadhan Yojna, 2010".

(2) The Scheme shall come into force from the date of publication of this notification.

2. The scheme shall be effective with reference to that amount of arrears (tax, interest and/or penalty) under the Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958, the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, the Central Sales Tax Act, 1956 and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976, which is payable by a registered dealer who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the "special package, 2010" or "policy package 2010" or "revival scheme" has been sanctioned by a high level committee or the empowered committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010.

3. The facility granted under this scheme shall be available for that amount of arrears which is outstanding as on the date of,—

(1) acquisition, in case of "special package, 2010"; or

(2) sanction of package or the cut off date, in case of "policy package 2010", or

(3) revival, in case of "revival scheme".

4. For the purpose of calculation of samadhan amount of arrears in respect of a dealer, the cases shall be considered Act wise for each year separately.

5. The amount to be paid for samadhan shall be the amount of tax included in the arrears.

6. The samadhan amount shall be paid,—

(a) within three months from—

(1) the date of acquisition, in case of "special package, 2010",

(2) the date of service of the sanction order, in case of "policy package, 2010", and

(b) in maximum thirty six equal monthly instalments or twelve equal quarterly instalments, in case of "revival scheme".

7. (1) If the arrears relate to such assessment year, in respect of which appeal, revision or any other proceeding is pending before the State Government, apellate Board or departmental authorities, then the registered dealer shall state in the application that he is voluntarily availing the facility accórding to the scheme sanctioned by the Government, and he will withdraw the appeal/revision/petition. From the date of filing of application for availing benefit of the scheme, the action for recovering the arrears shall remain stayed and the said appeal/revision/petition shall be deemed to have been withdrawn automatically when the samadhan certificate is issued. As far as the petition/ appeal/reference before the Supreme Court/High Court is concerned the applicant, according to the rules, shall make an application to withdraw the same and shall produce appropriate evidence before the samadhan certificate is issued. For want of such appropriate avidence the application may be rejected.

(2) If any case is remanded for re-assessment by an order in appeal/revision or in any other case and the re-assessment has not been completed, such a case shall be considered, at the option of the registered dealer, for samadhan under this scheme in respect of the arrears as per the assessment order which was subject matter of the order remanding the case.

8. After the samadhan amont is deposited, a samadhan certificate for the full and final disposal of the amount of arrears shall be issued.

9. No penal action against the applicant under any Act administered by the department shall be initiated after the case is disposed of under the samadhan scheme. The applicant also shall not be entitled to any other benefit under any Act afterwards.

10. The rules or guidelines for the implementation of the scheme may be issued by the State Government/ Commissioner, Commercial Tax, Madhya Pradesh.

11. The State Government may amend the scheme or the rules at any time. In case of any dispute in respect of the scheme or the rules, decision of the Commercial Taxes Department, Government of Madhya Pradesh shall be final.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्र. एफ-ए-3-25-2010-1-पांच(02)—राज्य सरकार ने "मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां) सरल समाधान योजना, 2010" स्वीकृत की है, जिसके क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यपदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां) सरल समाधान योजना नियम, 2010" है.

(2) ये नियम इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "योजना" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां) सरल समाधान योजना, 2010;

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा;

(ग) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(घ) ''सामान्य विक्रय कर अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्र. 2 सन् 1959), ''वाणिज्यिक कर अधियिनम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्र. 5 सन् 1995) तथा ''वेट अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन् 2002);

(ङ) ''केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74);

(च) ''प्रवेश कर अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976);

(छ) ''रजिस्ट्रीकृत व्यापारी'' से अभिप्रेत है वेट अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसा व्यापारी, जिसने किसी ऐसी बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को अधिगृहित किया है या उसे पुनर्जीवित किया है जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्चस्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा ''विशेष पैकेज, 2010 या ''पालिसी पैकेज, 2010'' या ''पुनर्जीवन योजना'' स्वीकृत की गई हो तथा जो औद्योगिक इकाई के विरुद्ध लंबित बकाया राशि के लिए योजना के अधीन लाभ उठाने का इच्छुक हो;

(ज) ''बकाया राशि'' से अभिप्रेत है, सामान्य विक्रय कर अधिनियम, वाणिज्यिक कर अधिनियम, वेट अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम तथा प्रवेश कर अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर, शास्ति और/या उद्गृहीत ब्याज की ऐसी राशि जो कर निर्धारण पूर्ण हो जाने तथा मांग सूचना की तामीली के पश्चात् भुगतान हेतु शोध्य हो;

(झ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है उस वृत्त का वाणिज्यिक कर अधिकारी, जिसमें औद्योगिक इकाई रजिस्ट्रीकृत है;

(ञ) ''सामाधान राशि'' से अभिप्रेत है अवधारित कर की वह राशि जिसका मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां) सरल समाधान योजना, 2010 के अधीन मामले के विचारण हेतु नकद भुगतान किया जाना है;

(2) अन्य समस्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु जो इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो सामान्य विक्रय कर अधिनियम, वाणिज्यिक कर अधिनियम, वेट अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम तथा प्रवेश कर अधिनियम में तथा उक्त अधिनियमों के नियमों में उनके लिए दिये गये हैं.

3. (1) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्ररूप एक में,—

(क) (एक) ''विशेष पैकेज, की दशा में, अधिग्रहण की तारीख से'';

(दो) ''पॉलिसी पैकेज, 2010'' की दशा में, स्वीकृति आदेश की तामीली की तारीख से 120 दिनों के भीतर, और

(ख) ''पुनर्जीवन योजना'' की दशा में, स्वीकृति आदेश की तामीली की तारीख से 30 दिवस के भीतर दो प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा.

(2) प्ररूप-एक में दिए गए आवेदन-पत्र में विनिर्दिष्ट तथ्य आवेदक द्वारा सत्यापित तथा हस्ताक्षरित किये जाएंगे.

(3) ''विशेष पैकेज, 2010'' या पॉलिसी पैकेज, 2010'' की दशा में, समाधान राशि के भुगतान के सबूत के रूप में आवेदन-पत्र के साथ चालान की प्रति संलग्न की जाएगी.

(4) ''पुनर्जीवन योजना'' की दशा में, समाधान राशि स्वीकृत पैकेज के अनुसार किस्तों में संदत्त की जाएगी तथा राशि के भुगतान के पश्चात् ऐसी किस्तों के भुगतान के सूबत के रूप में चालान सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाएंगे.

(5) सक्षम प्राधिकारी आवेदन की दूसरी प्रति में अभिस्वीकृति देगा.

4. सक्षम प्राधिकारी, आवेदन-पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर तथ्यों तथा अभिलेखों की जांच करेगा. यदि आवेदन-पत्र तथा संबंधित अभिलेख की जांच करने पर सक्षम प्राधिकारी यह पाता है कि आवेदक समस्त या कुछ अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है या आवेदन-पत्र में दर्शायी गई बकाया राशि या समाधान राशि या किस्तों की गणना सही नहीं है, तो वह प्ररूप-दो में व्यापारी को सूचाना-पत्र भेजेगा तथा व्यापारी सूचना-पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा.

5. यदि प्ररूप-एक में आवेदन नियमानुसार है या व्यापारी ने प्ररूप-दो में के सूचना-पत्र के अनुसरण में अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है, तो सक्षम प्राधिकारी प्ररूप-एक में, विनिर्दिष्ट बकाया राशि का पूर्ण तथा अन्तिम भुगतान कर दिए जाने के संबंध में, व्यापारी को प्ररूप-तीन में समाधान प्रमाण-पत्र,—

(1) ''विशेष पैकेज, 2010'' या ''पॉलिसी पैकेज, 2010'' की दशा में, यथास्थिति प्ररूप-दो में विनिर्दिष्ट अभिलेख प्राप्त होने या अपेक्षाओं की पूर्ति कर दिए जाने से;

(2) ''पुनर्जीवन योजना'' की दशा में, समाधान राशि का पूर्ण तथा अन्तिम भुगतान कर दिए जाने के सबूत के रूप में चालान की प्रतियां प्राप्त हो जाने से;

तीन कार्य दिवस के भीतर जारी करेगा.

प्ररूप-एक

[नियम-3 (1) देखिये]

मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां) सरल समाधान योजना, 2010 के अधीन अवेदन-पत्र

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत. . . . . .

विषय.—मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां) सरल समाधान योजना, 2010 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में.

मैं योजना के अधीन निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत कर रहा/रही हूं :—

1.	टिन										
2.	नाम एवं पता										
3.	औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता										
4.	*''विशेष पैकेज, 2010'' या ''पॉलिसी पैकेज, 2010'' या ''पुनर्जीवन योजना'' स्वीकृत करने वाले आदेश का क्रमांक तथा दिनांक										
5.	प्रकरणवार विशिष्टियां**										

कालावधि	अधिनियम	बकाया राशि			समाधान राशि
		कर	ब्याज और/या शास्ति	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				योग	

*जो लागू न हो उसे काट दें.

**प्रत्येक कालावधि के लिए तथा प्रत्येक अधिनियम के लिये जानकारी पृथक्-पृथक् दर्शाई जाए.

6. चालान क्रमांक दिनांक तथा राशि सहित (प्रति संलग्न है)

7. ''पुनर्जीवन योजना'' की दशा में,
मासिक/त्रैमासिक किस्त की राशि

8. अपील/पुनरीक्षण/संदर्भ/याचिका (यदि कोई हो) की प्रास्थिति
निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरणों में मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां) सरल समाधान योजना, 2010 के अधीन मुझे प्रसुविधा देने का कष्ट करें.

स्थान . . . . . .
दिनांक . . . . . .

हस्ताक्षर . . . . . .
पूरा नाम और हैसियत
(मालिक/भागीदार/प्रबंधक/कर्ता)
व्यापारी का पता
(मुद्रा)

सत्यापन

मैं . . . . . आत्मज/आत्मजा श्री . . . . . सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि मेरे अभिज्ञान एवं विश्वास के अनुसार,—

(क) आवेदन में दी गई जानकारी और संलग्न साक्ष्य, सही एवं पूर्ण हैं तथा दर्शित की गई बकाया राशि के ब्यौरे एवं अन्य ब्यौरे भी सत्य हैं.

(ख) मैं, योजना तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सक्षम एवं पात्र हूँ. मैं योजना तथा नियमों को स्वीकार करता हूं.

(ग) मैं, इस योजना के अधीन शासन द्वारा दी गई प्रसुविधा का स्वेच्छया लाभ उठा रहा हूं.

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं यह आवेदन . . . . . कि हैसियत से प्रस्तुत कर रहा/रही हूं और इसके लिए प्राधिकार पत्र संलग्न है (प्राधिकार-पत्र केवल तभी संलग्न किया जाना है जब घोषणा व्यापारी द्वारा नहीं की गई हो तथा व्यापारी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा रही हो).

स्थान . . . . . .
दिनांक . . . . . .

हस्ताक्षर और नाम . . . . . .
हैसियत . . . . . .

निदेश :—1. यह प्ररूप दो प्रतियों में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए. एक प्रति पावती की अभिस्वीकृति के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा वापस की जाएगी.

2. ''पैकेज'' स्वीकृत करने वाले आदेश की प्रति, आवेदन के साथ संलग्न की जाए.

3. ''विशेष पैकेज, 2010'' या ''पॉलिसी पैकेज, 2010'' की दशा में, समाधान राशि के भुगतान के चालान की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाए समाधान राशि का भुगतान अधिनियमवार किया जाए.

4. न्यायालय/प्राधिकारी के संबंध में जानकारी स्पष्टत: कथित की जाए (सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/अपील बोर्ड/राज्य सरकार/अपील/पुनरीक्षण प्राधिकारी) और समुचित साक्ष्य संलग्न किए जाएं.

5. कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा जाए, यदि संबंधित नहीं है तो तद्नुसार उल्लेख किया जाए.

प्ररूप-दो

(नियम-4 देखिये)

मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां) सरल समाधान योजना, 2010 के अधीन सूचना

क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . .

प्रति,

. . . . . .
. . . . . .

विषय.—मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां) सरल समाधान योजना, 2010 के अधीन आवेदन.

आपके आवेदन दिनांक . . . . . के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य आपकी जानकारी में लाये जाते हैं,—

*1. अनुक्रमांक . . . . . पर जानकारी उचित रूप से नहीं भरी गई है.

2. अनुक्रमांक . . . . . की जानकारी के समर्थन में दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं.

3. सामाधान राशि की गणना सही नहीं है. मेरी गणना के अनुसार सही राशि निम्नानुसार है,—

कालावधि	अधिनियम	अभिलेखों एवं आवेदन के अनुसार बकाया राशि						समाधान राशि		शेष देय
		कर		ब्याज और/या शास्ति		योग		अभिलेख के अनुसार	आवेदन के अनुसार	
		अभिलेख	आवेदन	अभिलेख	आवेदन	अभिलेख	आवेदन			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

4. किस्त की गणना सही नहीं है. मेरी गणना के अनुसार सही किस्त . . . . . है.

5. . . . . .(यदि अन्य कोई अपेक्षा हो तो यहां विनिर्दिष्ट करें) तद्नुसार :—

1. कृपया अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराएं.
2. कृपया कुल शेष राशि 15 दिन के अंदर जमा करें.
3. कृपया उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित किस्त के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें.

स्थान . . . . . हस्ताक्षर . . . . . .

(सक्षम प्राधिकारी)

दिनांक . . . . . नाम . . . . . .

पदनाम . . . . . .

(मुद्रा)

प्ररूप-तीन

(नियम-5 देखिये)

मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां) सरल समाधान योजना, 2010 के अधीन

समाधान प्रमाण-पत्र

क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . .

व्यापारी मेसर्स ..... (नाम एवं पता) द्वारा मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां) सरल समाधान योजना, 2010 के अधीन प्ररूप-एक में आवेदन दिनांक . . . . . को प्रस्तुत किया है. अतएव योजना के अधीन प्राप्त शक्तियों के अनुसरण में व्यापारी को यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है कि बकाया राशि, जिसके ब्यौरे नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं, का पूर्ण और अन्तिम भुगतान कर दिया गया है :—

1.	टिन										
2.	नाम एवं पता										
3.	औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता										
4.	*''विशेष पैकेज, 2010'' या ''पॉलिसी पैकेज, 2010'' या ''पुनर्जीवन योजना'' स्वीकृत करने वाले आदेश का क्रमांक एवं दिनांक										
5.	प्रकरणवार ब्यौरे**										

कालावधि	अधिनियम	बकाया राशि			समाधान राशि
		कर	ब्याज और/या शास्ति	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				योग	
6. चालान क्रमांक, दिनांक एवं राशि सहित					

स्थान . . . . . .

दिनांक . . . . . .

हस्ताक्षर . . . . . .

(सक्षम प्राधिकारी)

नाम .....

पदनाम .....

(मुद्रा)

*जो लागू न हो उसे काट दें.

**प्रत्येक कालावधि और प्रत्येक अधिनियम के लिए जानकारी पृथक्-पृथक् दर्शाई जाए.

पृष्ठांकन क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . .

प्रतिलिपि :—

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इन्दौर
2. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, ... संभाग
3. अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर .....
4. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त .....
5. कर निर्धारण प्राधिकारी .....
6. आवेदक मेसर्स .....

स्थान . . . . . हस्ताक्षर . . . . . .
दिनांक . . . . . (सक्षम प्राधिकारी)
नाम .....
पदनाम .....
(मुद्रा)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्र. एफ-ए-3-25-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-25-2010-1-पांच (02), दिनांक 28 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th January 2011

No. F-A-3-25-2010-1-V (02).—The State Government has sanctioned "Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2010," for the implementation of which the following Rules are made :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna Niyam, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication of this notification.

2. **Definitions.**—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Scheme" means Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2010;

(b) "Section" means the Section of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002;

(c) "Form" means forms appended to these rules;

(d) "General Sales Tax Act" means the Madhya Pradesh, General Sales Tax Act, 1958 (No. 2 of 1959), "Vanijyik Kar Adhiniyam" means the Madhya Pradesh. Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) and "Vat Act" means the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002);

(e) "Central Sales Tax Act" means the Central sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956);

(f) "Entry Tax Act" means the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976);

(g) "Registered dealer" means a dealer registered under the Vat Act, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the "special package, 2010" or "policy package 2010" or "revival scheme" has been sanctioned by a high level committee or the empowered committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and is desirous of availing of benefit under the scheme for the amount of arrears pending against the industrial unit;

(h) "Amount of arrears" means amount of tax, penalty and/ or interest levied/imposed under General Sales Tax Act, Vanijyik Kar Adhiniyam, Vat Act, Central Sales Tax Act and Entry Tax Act which is due for payment after the completion of assessment and service of the demand notice;

(i) "Competnent authority" means the Commercial Tax Officer of the circle in which the industrial unit is registered;

(j) "Samadhan amount" means the amount of tax determined which is to be paid in cash for considering the case under Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojana, 2010;

(2) All other words and expressions used in these rules, but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the General Sales Tax Act, Vanijyik Kar Adhiniyam, Vat Act, Central Sales Tax Act and Entry Tax Act and in the rules to the said Acts.

3. (1) The registered dealer shall submit application in Form I in duplicate before the competent authority,—

(a) within 120 days from,

(i) the date of acquisition, in case of "special package";

(ii) the date of service of the sanction order, in case of "policy package 2010", and

(b) within 30 days from date of service of the sanction order, in case of "revival scheme".

(2) The facts specified in the application in Form I shall be verified and signed by the applicant.

(3) In case of "special package, 2010" or "policy package 2010", challan as proof of payment of samadhan amount shall be enclosed along with the application.

(4) In case of "revival scheme", the samadhan amount shall be paid in instalments in accordance with the package sanctioned and after payment of the amount, challans as proof of payment of such instalments shall be submitted to the competent authority.

(5) The competent authority shall give acknowledgement in duplicate copy of the application.

4. The Competent Authority shall scrutinise the facts and the records within fifteen days of the receipt of the application. If, on scrutiny of the application and the relevant record, the Competent Authority finds that the applicant does not comply with all or any of the requirements or the amount of arrears shown in the application or the calculation of the samadhan amount or instalment is not correct, he shall send a notice in Form II to the dealer and the dealer shall comply with the requirements within fifteen days of receipt of the notice.

5. If the application in Form I is in order or the dealer has complied with the requirements in pursuance of a notice in Form II, the Competent Authority shall issue a samadhan certificate in Form III to the dealer in respect of the full and final settlement of the amount of arrears specified in Form I, within three working days of receipt of,

(1) the records or of compliance of the requirements specified in Form II, as the case may be, in case of "special package, 2010" or "policy package 2010";

(2) Challans as proof of full and final payment of the samdhan amount, in case of "revival scheme".

FORM-I
[See Rule 3(1)]

APPLICATION

Under the Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2010

To,

The Commercial Tax Officer,
Circle . . . . . .

Subject.—Submission of the application under Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2010.

I am submitting the following declaration under the Scheme :—

1. TIN	
2. Name and address	
3. Name and address of the Industrial unit	
4. No. and date of order sanctioning the *"special package, 2010" or "policy package, 2010" or "revival scheme".	
5. Case wise particulars** :	

Period (1)	Act (2)	Amount of arrears			Samadhan amount (6)
		Tax (3)	Interest and/or penalty (4)	Total (5)	
				Total	

*Strike out whichever is not applicable.
**Information for each period and each Act be shown separately.

6. Challan No. with date and amount. (copy enclosed).

7. Amount of monthly/quarterly instalment, in case of "revival scheme".

8. Status of appeal / revision / reference/ petition (if any).

It is requested that benefit may be allowed to me in the above cases under Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2010.

Place . . . . . Signature . . . . . .
Date . . . . . Full name and Status
(Proprietor/partner/manager/Karta)
Address of the dealer
(Seal).

VERIFICATION

I, ... S/o, D/o, Shri . . . . . solemnly affirm that according to my knowledge and belief,—

(a) the information given in the application and the evidence enclosed are true and complete and also the particulars of amount of arrears and other particulars shown are true.

(b) I am competent and eligible to file the application under the scheme and the rules made thereunder and I accept the scheme and rules.

(c) I am voluntarily availing of the benefit given by the Government under this scheme.

I also declare that I am submitting this application in the status of . . . . . .and for this authority letter is enclosed (if the declaration is not made by the dealer and is being filed by the person authorised by the dealer then only the authority letter is to be enclosed).

Place . . . . . Signature and name . . . . . .
Date . . . . . Status . . . . . .

Directions.—1. This form should be submitted to the competent authority in duplicate. One copy shall be returned by the competent authority after acknowledging the receipt.

2. Copy of the order sanctioning the "Package" should be enclosed along-with the application.

3. In case of "Special Package, 2010" or "Policy Package, 2010" copy of the challan for payment of Samadhan amount should be enclosed along-with the application. The payment of samadhan amount should be made Act wise.

4. Information with regard to court / authority should be clearly stated (Supreme Court / High Court / Appellate Board / State Government / Appeal / Revision Authority) and appropriate evidence should be enclosed.

5. No column should be left blank, if not relevant then state accordingly.

FORM-II
(See Rule 4)
NOTICE

Under Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2010

No. . . . . Date . . . . . .

To,

. . . . . .
. . . . . .

Subject.—Application under the Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2010.

With reference to your application dated. . . . . the following facts are brought to your notice,—

* 1. The information at serial No. . . . . has not been filed properly.

2. The documents in support of information at serial No. . . . . has not been enclosed.

3. The calculation of Samadhan amount is not correct. According to my calculation the correct amount is,—

Period	Act	Amount of arrears as per records and application						Samadhan amount		Balance payable
		Tax		Interst and/or penalty		Total		As per records	As per application	
		Record	Appli-cation	Record	Appli-cation	Record	Appli-cation			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

4. The calculation of instalment is not correct. According to my calculation the correct instalment is . . . . .

5. . . . . (here specify if any other requirement).

Accordingly,—

(1) please provide the required information/document within15 days;
(2) please deposit the total remaining amount within 15 days;
(3) please ensure payments as per the instalment mentioned at paragraph 4 above.

Place . . . . . Signature . . . . . .
Date . . . . . (Competent Authority)
Name . . . . . .
Designation . . . . . .
(Seal).

FORM-III
(Rule 5)

SAMADHAN CERTIFICATE

Under Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2010

No. . . . . Date . . . . . .

The dealer M/s . . . . . .(Name and Address) has submitted an application in Form-I on . . . . . (date) under the Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2010. Therefore, in pursuance of the powers under the scheme this certificate is issued to the dealer for the full and final disposal of the amount of arrears details of which are given in the table below :—

1. TIN
2. Name and address . . . . . .
3. Name and address of the Industrial unit . . . . . .
4. No. and date of oredr sanctioning the *"special package, 2010" or "policy package, 2010" or "revival scheme" . . . . . .
5. Case wise particulars** : . . . . . .

Period	Act	Amount of arrears			Samadhan amount
		Tax	Interest and/or penalty	Total	
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Total . .	

6. Challan No. with date and amount :—

Place . . . . . .
Date . . . . . .

Signature . . . . . .
(Competent Authority)
Name . . . . . .
Designation . . . . . .
(Seal).

*Strike out whichever is not applicable.
**Information for each period and each Act be shown separately.

Endt. No. . . . . Date . . . . . .

Copy to :—

1. Commissioner, Commercial Tax, Madhya Pradesh, Indore
2. Deputy Commissioner, Commercial Tax, Division . . . . . .
3. Appellate Deputy Commissioner, Commercial Tax, ...
4. Commercial Tax Officer, Circle . . . . . .
5. Assessing Authority . . . . . .
6. Applicant. M/s . . . . . .

Place . . . . . Signature . . . . . .
Date . . . . . (Competent Authority)
Name . . . . . .
Designation . . . . . .
(Seal).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.